सं.14/1/2015-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 09 फरवरी, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओयू) की पहली बैठक (2015 श्रृंखला) 20 फरवरी, 2015 को आयोजित होगी – कार्यसूची भेजे के संबंध में।

मुझे श्री राजीव, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में 20 फरवरी, 2015 को प्रात: 11.00 बजे कमरा संख्या 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित होने वाली ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड की (2015 श्रृंखला की) पहली बैठक के लिए कार्यसूची की मदों की एक प्रति इसके साथ भेजने का निदेश हुआ है।

2. कृपया बैठक में भाग लेने की कृपा करें।

ह0/-
(एस.एस. कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23062496
ई-मेल : kumar.ss@nic.in

1. **औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग**
2. **सीबीईसी** [**सदस्य (सीमाशुल्क)**], **वित्त मंत्रालय**
3. **सीबीडीटी**]**सदस्य (आयकर)**], **वित्त मंत्रालय**
4. **डीजीएफटी**
5. **संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**
6. **संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय**
7. **सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय**
8. **सभी विकास आयुक्त**

प्रतिलिपि प्रेषित : वाणिज्य सचिव के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (जीपीएम) के निजी सचिव/ निदेशक (एमवी)

दिनांक 20.02.2015 को प्रात: 11.00 बजे यूओयू स्किन के लिए आयोजित होने के लिए निर्धारित बीओए बैठक (2015 श्रृंखला) की कार्यसूची

1.1 (1.5) दिनांक 18.09.2014 को आयोजित तृतीय बीओए (2014 श्रृंखला) की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि 1.2 (15) मैसर्स ब्रिटिश इंजिन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, एसईजेड के अंतर्गत 100 प्रतिशत ईओयू – उनकी मौजूदा गतिविधियों से संबंधित कुछ सेवाओं का समायोजन।

ब्रिटिश इंजिन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के पास इलेक्ट्रिकल वायरिंग एसेसरीज (एल्युमिनियम), हाइड्रोलिक मोटर और उसके पार्ट्स मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन स्पेयर, वल्व और उसके पार्ट्स, ट्यूबलर रोलिंग पार्ट्स, (एल्युमिनियम) और कैड एवं गेम सपोर्ट सेवाओं का निर्माण करने और निर्यात करने के लिए दिनांक 17.01.2002 (दिनांक 20.04.2007 और 02.05.2012 के पत्र के तहत यथा संवर्धित – सेवाओं का निर्यात करने के लिए एलओपी है, इस यूनिट ने दिनांक 09.05.2002 से अपना उत्पादन प्रारंभ किया, यह कंपनी एनईएफ सकारात्मक है।

हाइड्रॉलिक मोटर्स और उसके पार्ट्स, मल्टी स्पिंडल ऑटोमोटिक मशीन स्पेयर, के संबंध में इन हाउस क्रियाकलापों का समर्थन करने के लिए इस यूनिट ने अनुमति पत्र की कुछ सेवाओं अर्थात्, डिजाइन सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विकास सेवाओं, तकनीकी परामर्श सेवाओं, शेयर पाइंट सेवाओं और ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत एनीमेशन सेवाओं का समायोजन के लिए अनुमति प्राप्त की है।

एफटीपी के संगत प्रावधान

एचबीपी के पैरा 6.32 (5) के अनुसार विकास आयुक्त समान वस्तुओं के क्रियाकलापों के लिए ब्रॉडबैंडिंग की अनुमति देगा अथवा विनिर्माण की मौजूदा लाइन के लिए बैकवर्ड अथवा फारवर्ड लिंकेज प्रदान करेगा, प्रस्तावित क्रियाकलाप सेवा क्रियाकलाप हैं जो उपर्युक्त प्रावधान के अंतर्गत नहीं आते हैं। एचबीपी के पैरा 6.2.2 के अनुसार सेवा सेक्टर (अनुसंधान एवं विकास, सॉफ्टवेयर एवं आईटी समर्थित सेवा, अथवा अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित अन्य सेवा क्रियाकलापों को छोड़कर) में इकाइयों की स्थापना करने के लिए प्रस्तावों के अलावा इस स्कीम के अंतर्गत इकाइयां स्थापित करने के लिए आवेदनपत्रों को इकाई अनुमोदन समिति द्वारा मंजूर अथवा नामंजूर किया जाएगा। अन्य मामलों में अनुमोदन क्लीयरेंस के बाद विकास आयुक्त द्वारा दिया जाएगा।

विकास आयुक्त की सिफारिशें : विकास आयुक्त ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

पूर्व उदाहरण : अनुमोदन बोर्ड ने अपनी चौथी बैठक (2012 श्रृंखला) में उसी इकाई अर्थात् मैसर्स ब्रिटिश इंजन्स लिमिटेड को इस शर्त के अध्यधीन कि इन सेवाओं से हुए अर्जन को डीटीए क्रियाकलापों के लिए नहीं माना जाएगा। ब्रॉडबैंडिंग इस क्रियाकलापों के अंतर्गत अनुमोदन पत्र में सीएडी/सीएएम सेवा क्रियाकलापों का समावेशन करने के लिए अनुमति प्रदन कर दी थी।

अनुमोदन बोर्ड ने दिनांक 28.11.2011 को आयोजित अपनी छठी बैठक (2011 श्रृंखला) में मैसर्स जनरल मोटर्स इंडिया लिमिटेड को अपने अतिरिक्त क्रियाकलापों अर्थात् ईओयू द्वारा निष्पादित किए जा रहे सपौर्ट मैथ आधारित इंजीनियरिंग कार्य को अतिरिक्त सेवा क्रियाकलापों में निगमित करने, जो वैश्विक ऑटोमोटिव इंजीनयरिंग की शुरूआत के लिए एक पहल है, की अनुमति प्रदान कर दी है।

1.3 (5) सी एसईजेड के अंतर्गत एक 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाई मैसर्स सर्वोकंट्रोल्स एयरोस्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कुछ सेवाओं का समायोजन करने के लिए अनुमति।

इस इकाई के पास (i) **एक्युएटर मोटर्स और इनकोडर** (ii) **मोटर्स एवं इनकोडर्स** (iii) **इंडर कैरिजेस तथा उनके पार्ट्स** (iv) **एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर इनकोडर्स के अन्य अनुषंगी का निर्यात करने के लिए दिनांक 31.01.2013 को अनुमति पत्र दिया है।**

इस इकाई ने अपने अनुमोदन पत्र में पहले से ही सूचीबद्ध की गई सभी मदों के लिए मरम्मत एवं सेवाओं के प्रावधान के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों को (i) **एक्चुएटर मोटर्स और इनकोडर्स की रिपेयर और सेवाएं** (ii) **मोटर्स और इनकोडर्स की रिपेयर और सेवाएं** (iii) **अंडर कैरिजेस और उनके पार्ट्स की रिपेयर और सेवाएं एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर इनकोडर्स के अन्य पार्ट्स की रिपेयर और सेवाएं** (iv) **को शामिल करने का अनुरोध किया है।**

इस इकाई ने दिनांक 04.03.2013 से अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है।

विदेश व्यापार नीति

एचबीपी के पैरा 6.32(5) के अनुसार विकास आयुक्त समान वस्तुओं और क्रियाकलापों के लिए ब्रॉडबैंडिंग की अनुमति देगा अथवा विनिर्माण की मौजूदा लाइन को बैकवर्ड अथवा फारवर्ड लिंकेज प्रदान करेगा। मौजूदा अतिरिक्त क्रियाकलाप सेवा क्रियाकलाप हैं जो इस प्रावधान के अंतर्गत नहीं आते है। एचबीपी के पैरा 6.2.2 के अनुसार :

"सेवा सेक्टर (अनुसंधान एवं विकास, सॉफ्टवेयर एवं आईटी समर्थित सेवाओं का अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथा प्रत्यायोजित कुछ अन्य क्रियाकलाप को छोड़कर) में इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रस्तावों के अलावा ईओयू स्कीम के अंतर्गत इकाई की स्थापना करने के लिए प्राप्त

आवेदनपत्रों को इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा अथवा उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। अन्य मामलों में अनुमोदन अनुमोदन बोर्ड द्वारा क्लीयरेंस के उपरांत विकास आयुक्त द्वारा दिया जाएगा।"

चूंकि इस इकाई का प्रस्ताव मरम्मत सेवा करना है। यह कार्य विदेश व्यापार नीति 2009-2014 के पैरा 6.16 के अंतर्गत आता है।

"ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों की स्थापना विदेशी मुद्रा में निर्यात करने के लिए रिकंडीशनिंग, मरम्मत, रिमार्किंग परीक्षण, कैलीबरेशन, गुणवत्ता सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और पुन:अर्भियांत्रिकी क्रियाकलापों का उन्नयन करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन से की जा सकती है तथापि विदेशी व्यापार नीति के पैराग्राफ 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.14 के प्रावधान और एचबीपी VI के पैरा 6.28 के प्रावधान इन क्रियाकलापों पर प्रभावी नहीं होते है।

इस प्रकार, विदेश व्यापार नीति का पैरा 6.16 भी इन इकाइयों पर लागू होता है।

विकास आयुक्त की सिफारिशें : विकास आयुक्त में इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

1.4 (15) सीएसई जेड के अंतर्गत एक निर्यातोन्मुखी इकाई मैसर्स शेल इंडिया मार्केट्स प्रावइेट लिमिटेड – अपनी नई प्रयोगशाला के लिए स्वदेशी एवं आयातित दोनों तरह की कुछ शुल्कमुक्त सामग्री का प्रापण करने के लिए अनुमति।

इस इकाई को सेवा सेक्टर में अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलाप करने और आईटी/आईटीईएस का निर्यात करने के लिए दिनांक 21.07.200 का अनुमति पत्र है।

इस इकाई ने अब कुछ ऐसी शुल्क मुक्त मदों का प्रापण करने के लिए अनुमति मांगी है जो ईओयू के अनुमोदित अतिरिक्त बांडेड परिसर में बंगलौर के नवीन टेक्नलोजी सेंटर में स्थापित की जा रही नई प्रयोगशाला के लिए अनिवार्य हैं। इस केंद्र में उच्च उद्देश्य वाले ऐसे तकनीकी अनुसंधान में सहायता देने के लिए प्रयोगशालाएं और प्रायोजिक संयंत्र होंगे जिन्हें इस ईओयू में किए जाने का प्रस्ताव है और जो पेट्रोकैमिकल्स उत्पादों, जो अत्यधिक ज्वलनशील प्रकृति के हैं, से संबंधित अनुसंधान एवं विकास सेवाओं तथा आईटी/आईटीईएस के लिए है। विकास आयुक्त ने इस अतिरिक्त स्थान पर नयी प्रयोगशाला स्थापित करने की अनुमति एचबीपी के पैरा 6.32 (7) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार दे दी है। जिन मदों का प्रापण किए जाने का प्रस्ताव है उनमें एल्युमिनियम क्लैडिंग, लैबोरेटरीज के लिए ग्लास पैनल्स, फायर डोर्स एवं फायर रोलिंग शटर्स, लाइटिंग प्रबंधन प्रणाली, प्रयोगशाला के लिए लाइटिंग सिस्टम और लाइटिंग जुड़नार, इलेक्ट्रिकल मदें और इलेक्ट्रिकल केबल्स (कॉपर) और इलेक्ट्रिकल केबल्स (एल्युमिनियम) शामिल हैं।

इस इकाई ने सकारात्मक एनएफई प्राप्त कर लिया है।

विदेश व्यापार नीति के संगत प्रावधान

एचबीपी के पैरा 6.5.1(च) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अनुमोदन बोर्ड को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उन वस्तुओं का आयात करने/डीटीए प्रापण करने की अनुमति दे जिनका उल्लेख पैरा 6.5.1 के खंड (क) से (ड.) में नहीं है।

विकास आयुक्त की सिफारिशें : विकास आयुक्त ने इस प्रस्ताव का संशोधन कर दिया है।

पूर्वोदाहरण : अनुमोदन बोर्ड ने दिनांक 13 मार्च, 2012 को आयोजित बैठक में मैसर्स पिल्किंग्टन ऑटोमेटिव इंडिया लिमिटेड को धूल रहित पर्यावरण बनाने के लिए समान वस्तुओं हेतु अनुमोदन प्रदान किया है। [मद संख्या 2.3 (12)]।

अनुमोदन बोर्ड ने 18 सितम्बर, 2014 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक [मद संख्या 3.3 (14)] और दिनांक 12.06.2013 को आयोजित अपनी चौथी बैठक [मद संख्या 4.6(13)] में मद "वैज्ञानिक दरवाजों" का अनुमोदन किया है जो क्रमश: मैसर्स नूरे कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स राईकेम मेडीकेयर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में फायर डोर्स के समान प्रकृति के हैं।

अनुमोदन बोर्ड ने दिनांक 14.09.2012 को आयोजित अपनी बैठक [मद संख्या 4.10 (12)] में मैसर्स एएसबी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को लाइट फिटिंग्स का शुल्क मुक्त आयात करने की और दिनांक 22.07.2011 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में [मद संख्या 4.13 (11)] मैसर्स एन्प्रो इंडस्ट्रीज प्रावइेट लिमिटेड को केबल/इलेक्ट्रिकल मदों का प्रापण करने के लिए अनुमति दी।

1.5 (15) सीएसईजेड के अधीन एक ईओयू मैसर्स वोकोक्स सल्युशंस को 100 प्रतिशत ईओय स्कीम की निरंतरता में 5 वर्षों की अन्य अवधि के लिए ईओयू का दर्जा प्रदान करना (जो दिनांक 08.09.2013 को व्यपगत हो गया था)।

मैसर्स वोफोक्स साल्युशंस (प्राइवेट) लिमिटेड के पास सॉफ्टवेयर विकास एवं डिजायनिंग के लिए दिनांक 08.09.2008 की एलओपी थी। इस इकाई ने दिनांक 08.09.2008 से अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया।

तदनुसार, यह एलओपी दिनांक 07.09.2013 को व्यपगत हो गई। इस इकाई का एनएफई सकारात्मक था। ईओयू स्टेट्स दिनांक 08.09.2013 को समाप्त हो गया।

यूनिट ने 1 वर्ष 2 माह के व्ययगत के पश्चात कुछ अपरिहार्य कारणों से हुए विलंब के कारण दिनांक 08.09.2013 के अगले पांच वर्षों के दूसरे ब्लॉक के लिए ईओयू का दर्जा बढ़ाए जाने की अनुमति की मांग की है।

विदेश व्यापार नीति/एचबीपी के संगत प्रावधान : एचबीपी 2009-14 के पैरा 6.2.9 के अनुसार

"विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.6 में किए गए सावधान के अनुरूप अनुमोदन अवधि पूरी होने के पश्चात यह यूनिट पर निर्भर होगा कि वह इस स्कीम के अंतर्गत जारी रहे या स्कीम से बाहर जाने का विकल्प ग्रहण करे। यदि यूनिट जारी रखने का विकल्प देती है तो विकास आयुक्त अनुमोदन अवधि में विस्तार करेगा। यदि अनुमोदन अवधि समाप्त होने के छह माह की अवधि के अंदर यूनिट से इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो विकास आयुक्त ईओयू स्कीम के अंतर्गत अनुमोदन को निरस्त करने की स्वत: कार्रवाई करेगा। जहां कोई यूनिट उक्त विनिर्धारित छह माह की अवधि के पश्चात इसे बनाए रखने का अपना विकल्प देती है तो विकास आयुक्त अनुमोदन बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्खत इसके विस्तार को मंजूरी देगा।"

विकास आयुक्त की सिफारिशें : विकास आयुक्त ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

1.6(15) मैसर्स मैजिनोम लैब्स प्राइवेट लिमिटेड : सीएसईजेड के अंतर्गत ईओयू इकाई की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव।

मैसर्स मैजिनोम लैब्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव (i) **स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं** (ii) **तकनीकी परीक्षण एवं विश्लेषण और** (iii) **मानव प्रतिदर्शों पर अनुसंधान एवं विकास सेवाओं के लिए 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई की स्थापना करने हेतु है। निवेश 1329 लाख रुपये।**

विदेश व्यापार नीति/एचबीपी के संगत प्रावधान : विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.7 (क) एवं (ख) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार।

(क) सेवा सेक्टर (अनुसंधान एवं विकास, सॉफ्टवेयर एवं आईटी समर्थित सेवाओं या अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथा-प्रत्यायोजित कोई अन्य सेवा क्रियाकलाप को छोड़कर) में इकाइयों की स्थापना करने के प्रस्तावों के अलावा ईओयू स्कीम के अंतदर इकाइयों की स्थापना करने के लिए आवेदनपत्र एचबीपी VI **में उल्लिखित मापदंडों के अनुसार 15 दिनों के अंदर इकाई अनुमोदन समिति द्वारा मंजूर अथवा नामंजूर किया जाएगा।**

(ख) अन्य मामलों में एचबीपी वी1 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार इस प्रयोजनार्थ स्थापित अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा।

इस प्रस्तावित क्रियाकलाप में विदेश व्यापार नीति 2009-14 के पैरा 6.16 के अंतर्गत आने वाली परीक्षण सुविधा भी शामिल है, इस अनुच्छेद में उल्लेख है कि –
"ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों की स्थापना विदेशी मुद्रा में निर्यात करने के लिए रिकंडीशनिंग, मरम्मत, रिमार्किंग परीक्षण, कैलीबरेशन, गुणवत्ता सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और पुन:अर्भियांत्रिकी क्रियाकलापों का उन्नयन करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन से की जा सकती है तथापि विदेशी व्यापार नीति के पैराग्राफ 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.14 के प्रावधान और एचबीपी VI के पैरा 6.28 के प्रावधान इन क्रियाकलापों पर प्रभावी नहीं होते है।

इसलिए, विदेश व्यापार नीति का पैरा 6.16 इस यूनिट पर भी अनुप्रयोज्य है।

विकास आयुक्त की संस्तुतियां : विकास आयुक्त ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

17.5 (15) मैसर्स जॉन डीरे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड – मौजूदा डीटीए इकाई को सीप्ज के अंतर्गत कृषि ट्रैक्टरों, एग्रीगेट्सस और उनके पुर्जों का विनिर्माण करने के लिए ईओयू इकाई में सभी संपरिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव।

आवेदक कंपनी ने कृषि ट्रैक्टरों, एग्रीगेट्स, क्म्पोनेंट्स और उनके संपादकों का विनिर्माण मौजूदा ईओपी बनाए जो तथा उत्तरवर्ती रूप से उसका निर्यात करने के लिए मौजूदा डीटीए इकाई को सम्परिवर्तित करने के लिए एलओपी का अनुमोदन देने हेतु एवं आवेदनपत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन से यह देखा जा सकता है कि इस इकाई का वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से अधिक है।

निवेश : प्लांट एवं मशीनी के लिए प्रस्तावित परियोजना लागत 29 करोड़ रुपये है।

एफटीपी/एचवीपी के संगत प्रावधान : एफटीपी पैरा 6.7 में निम्नलिखित का प्रस्ताव है।

"डीटीए में स्थित कोई मौजूदा इकाई जिसका संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक है अथवा जिसका वार्षिक निर्यात 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उसका ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी में सम्परिवर्तन के लिए आवेदनपत्र निर्णयार्थ अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

विकास आयुक्त की सिफारिशें : विकास आयुक्त ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

1.8(15) एनएसजेड के अंतर्गत एक ईओयू मैसर्स टारस एजाइल टेक्नालोजी कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड – नकारात्मक एनएफई के बावजूद अनुमति पत्र का समय विस्तार

यह यूनिट मोहाली, पंजाब स्थित एक 100 प्रतिशत ईओयू है जिसे टरबाइन कम्पोनेट्स मशीन संघटकों, औद्योगिक उपकरणों, ऑटोमोटिव संघटकों का विनिर्माण और निर्यात करने के लिए वर्ष 2007 में अनुमति पत्र दिया गया था। इस यूनिट ने वर्ष 2008 में अपना उत्पादन आरंभ किया और पंचवर्षीय ब्लॉक 26.12.2013 को पूरा किया। यह यूनिट इस पांच वर्ष की ब्लॉक अवधि में एनएफई निगेटिव रही। इस इकाई ने शुल्क की रियायती दर पर भुगतान करके 159.82 लाख रुपये की अनधिकृत डीटीए बिक्री भी की है। चूंकि यह यूनिट निगेटिव एनएफई है, इसलिए यह रियायती दर पर डीटीए बिक्री करने के लिए न तो हकदार है और न ही अधिकृत।

एनएफई के लिए 5 वर्ष की ब्लॉक अवधि का विस्तार करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन बोर्ड ने अपनी दिनांक 03.04.2014 को आयोजित बैठक में विचार किया था। अनुमोदन बोर्ड का निर्णय निम्नवत है :

"पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात बोर्ड ने डीसी, एनएसईजेड को निदेश दिया कि वह इस संभावना की जांच करने के लिए कि वह यूनिट एनएफई पॉजिटिव हो जाए उस यूनिट के बिजनेस प्लॉन की जांच करें।"

अनुमोदन बोर्ड के निदेशानुसार विकास आयुक्त ने इस यूनिट के बिजनेस प्लॉन की जांच की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के मुताबिक इस यूनिट ने 410 मिलियन यूएस डालर मूल्य के आदेश की आपूर्ति की। 250 मिलियन यूएस डालर के लिए बड़ी मशीन पार्ट्स के दीर्घावधिक करार और 160 मिलियन यूएस डालर मूल्य के लिए छोटी मशीन पार्ट्स के दीर्घावधिक करार)। विकास आयुक्त ने उल्लेख किया कि हालांकि यह यूनिट अत्यधिक विनाशक एवं गैर-विनाशक परीक्षण करने के पश्चात 80-100 पार्ट्स के लिए अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने में सक्षम रहा फिर भी इस यूनिट को बल्क उत्पादन प्रारंभ करना है। डीसी ने उल्लेख किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह यूनिट बल्क उत्पादन प्रारंभ होने पर अपना निर्यात दायित्व प्राप्त कर लेगी।

इस प्रस्ताव पर अनुमोदन बोर्ड ने अपनी दिनांक 18.09.2014 को आयोजित तीसरी बैठक (2014 श्रृंखला) में विचार किया। अनुमोदन बोर्ड का निर्णय निम्नलिखित है :

"पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात बोर्ड ने डीसी, एनएसईजेड को इस प्रस्ताव की पुन: जांच करने और वह तारीख सुनिश्चित करने, जब इस यूनिट का उत्पादन प्रारंभ हुआ, सुस्थपित

क्रियाविधियों के अनुसार अगली कार्रवाई करने और जरूरत पड़ने पर अनुमोदन बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने के लिए अपनी संस्तुति प्रस्तुत करने का निदेश दिया।"

अनुमोदन बोर्ड के निदेशानुसार, डीसी, एनएसईजेड ने इस मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह उल्लेख किया गया कि यद्यपि इस यूनिट ने दिनांक 27.10.2008 को अपने वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख घोषित की, तथापि यह पाया गया कि वर्ष 2008-13 में अवधि के दौरान इसका क्षमता उपयोग लगभग 1.01 प्रतिशत रहा। यूनिट ने यह तर्क दिया कि उन पर बैंक अधिकारियों ने यह दबाव डाला कि वह अपने वाणिज्यिक/बल्क उत्पादन के प्रारंभ की तारीख अक्तूबर, 2008 घोषित करें। वाणिज्यिक उत्पादन आज की तारीख तक प्रारंभ नहीं हो पाया है।

यह उल्लेख किया जाता है कि इस यूनिट ने 410 यूएस डालर की आपूर्ति की है और व्यापक विनाशक एवं अविनाशक परीक्षण के उपरांत 80-100 पार्ट्स का अंतिम अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। इस यूनिट ने यह प्रस्तुत किया है कि वे दिनांक 31.03.2015 तक बल्क उत्पादन की घोषणा करने में समर्थ से जाएंगे। डीसी, एनएसईजेड ने दिनांक 31.03.2015 तक इस अनुमति पत्र को बढ़ा दिया क्योंकि इस तरह की इकाइयों को प्रोत्साहित करने से "मेक इन इंडिया" पहल को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेख किया जाता है कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.6.1(क) के अनुसार इस एलओपी/एलओआई की शुरूआती वैधता 3 वर्षों की होनी चाहिए, इस समय तक यूनिट को अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर देना चाहिए। यदि कोई यूनिट शुरूआती 3 वर्षों की अवधि के अंदर अपना उत्पादन प्रारंभ करने में सक्षम नहीं होती है तो विकास आयुक्त को यह अधिकार है कि वह इस वैधता अवधि को अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ा दे। तथापि, इस मामले में उत्पादन प्रारंभ करने के लिए एलओपी की वैधता का विस्तार नहीं किया गया क्योंकि यूनिट ने दिनांक 27.10.2000 को अपने वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख के रूप में घोषित किया। इसके अतिरिक्त, विकास आयुक्त को वैधता अवधि केवल 6 वर्षों के लिए अर्थात 07.01.2013 तक बढ़ाने का अधिकार है। तथापि, विदेश व्यापार नीति 2009-14 के पैरा 6.6.1(क) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार 6 वर्षों की अवधि से आगे एलओपी का विस्तार करने के प्रस्तावों पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जा सकता है।

विकास आयुक्त एनएसजेड ने निम्नलिखित के लिए अनुमोदन की मांग की है :

क) अनुमोदन पत्र का नवम्बर, 2014 तक घटनोत्तर विचार।
ख) अनुमोदन पत्र का 31.03.2015 तक पुन: विस्तार।

भाग-II

दिनांक 1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुसार अनुमोदन बोर्ड के अनुसमर्थन के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत विकास आयुक्त द्वारा दिया गया अनुमोदन।

क	**अगस्त, 2014 से अक्तूबर, 2014 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन**	**सीप्ज**
ख	**अगस्त, 2014 से 8 जनवरी, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन**	**आई एस ई जेड**
ग	**जुलाई, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन**	**के ए एस ई जेड**
घ	**जुलाई, 2014 से नवम्बर, 2014 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन**	**एम एस ई जेड**
ड.	**जुलाई, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन**	**एफ एस ई जेड**
च	**सितम्बर, 2014 से जनवरी, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन**	**वी एस ई जेड**
छ	**जून, 2014 से अक्तूबर, 2014 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन**	**सी एस ई जेड**